## स्मृति – पत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संस्था का नाम | : श्री सतगुरू एजूकेशन सोसायटी |
| 2. | संस्था का पता | : ग्राम भगवन्तखेड़ा पो0 धानीखेड़ा तहसील बीघापुर जनपद उन्नाव |
| 3. | संस्था का कार्यक्षेत्र | : समस्त उ0प्र0 होगा। |
| 4. | संस्था के उद्देश्य | : |

1. संस्था का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों अनु0 जातियों एवं जनजातियों के नागरिकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक रचनात्मक, कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।
2. संस्था के कार्यक्षेत्र में शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एवं मान्टेसरी तथा शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जू0हा0 स्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट आवश्यकता होने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के स्कूल, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू, आदि भाषाओं के माध्यम से खोलना एवं उनका संचालन करना।
3. गन्दी एवं मलिन बस्तियों में निवास करने वाले नागरिकों के उत्थान हेतु बुनियादी शिक्षा के शिक्षण शिक्षण की व्यवस्था करना।
4. समाज में निराश्रित बच्चों, महिलाओं, विधवाओं, अपंगो / विकलांगो तथा परित्याक्तताओं एवं दुखी जीवों की सहायता करना एवं उनको स्वावलम्बी बनाने हेतु कपार्ट, ड्वाकरा, सुडासेल, ट्राइसेम, डी0आर0डी0ए0 भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, नारी निकेतनों शिल्प कला केन्द्रों, कालीन, बुनाई केन्द्रों, पेन्टिंग, शिक्षा केन्द्रों, अन्य इलेक्ट्रानिक

शिवपाल सिंह
प्रदीप सिंह
राहुल सिंह
Ranjana Singh
Mamta Singh

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरू एजूकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

....2

उपकरणों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना ।

6. पुस्तकालय वाचनालय छात्रावास, क्रीड़ाकेन्द्रों आदि की व्यवस्था करना पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं जनता को उपलब्ध कराना जिससे वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
7. औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना , व्यायामशाला निःशुल्क चिकित्सालय, मनोरंजन केन्द्रों आदि की व्यवस्था हेतु प्रयास करना ।
8. महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना ।
9. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, दैवीय आपदाओं, दंगों, दुर्घटनाओं आदि के समय जनता की हर सम्भव सहायता करना।

शिवपाल सिंह
प्रदीप सिंह
राहुल सिंह
Ranjana Singh
Sujjan Singh
सन्तू सिंह
अमर बहादुर
Mamta Singh
बन्दना सिंह

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

| क्र०सं० | नाम | पिता का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शिवपाल सिंह | श्री शिवगोविन्द सिंह | भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा उन्नाव | अध्यक्ष | अध्यापन |
| 2. | प्रदीप सिंह | श्री एस०पी० सिंह | धानीखेड़ा उन्नाव | उपाध्यक्ष | व्यापार |
| 3. | राहुल सिंह | श्री एस०पी० सिंह | उपरोक्त | महामंत्री/ प्रबन्धक | व्यापार |
| 4. | श्रीमती रंजना सिंह | श्री आर०बी० सिंह | चन्देल सरांय कमेला बाराबंकी | उपप्रबन्धक स०मंत्री | स०सेवा |
| 5. | श्री सज्जन सिंह | श्री शिव शंकर | परोरी , पो० सगवर उन्नाव | कोषाध्यक्ष | कृषि |
| 6. | श्री अमर बहादुर सिंह | श्री रामू सिंह | निहालीखेड़ा पो० सगवर उन्नाव | सदस्य | कृषि |
| 7. | श्री सन्तू सिंह | श्री भगोले सिंह | ग्राम जमराजमऊ पो० रायपुर उन्नाव | सदस्य | कृषि |
| 8. | ममता सिंह | बृजेश सिंह | ग्रा० मुड़ियनखेड़ा पो० धर्मदासखेड़ा | सदस्या | गृहणी |
| 9. | वन्दना सिंह | श्री शिवपाल सिंह | धानीखेड़ा उन्नाव | सदस्य | गृहणी |

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरु एजुकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

......3

Scanned with CamScanner

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि0 अधिनियम की धारा 21 सन 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत कराना चाहते है।

दि० 3/6/05

| क्र0सं0 | नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | शिवपाल सिहं | शिवपाल सिंह |
| 2. | प्रदीप सिंह | प्रदीप सिंह |
| 3. | राहुल सिंह | राहुल सिंह |
| 4. | श्रीमती रंजना सिंह | Ranjana Singh |
| 5. | श्री सज्जन सिंह | [illegible] |
| 6. | श्री अमर बहादुर सिंह | [illegible] |
| 7. | श्री रान्नू सिंह | रान्नू सिंह |
| 8. | श्री ममता सिंह | MamtaSingh |
| 9. | वन्दना सिंह | वन्दना सिंह |

उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, लखनऊ (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते

---

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
24.06.05

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरु एजूकेशन सोसाइटी
[illegible], [illegible], उन्नाव

Scanned with CamScanner

## संशोधित नियमावली

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्था का नाम | : | श्री सद्गुरु एजूकेशन सोसायटी |
| 2. | संस्था का पता | : | ग्राम भगवन्तखेड़ा पो0 धानीखेड़ा तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव |
| 3. | संस्था का कार्यक्षेत्र | : | समस्त उत्तर प्रदेश |
| 4. | संस्था के उद्देश्य | : | स्मृतिपत्र के अनुसार। |
| 5. | संस्था की सदस्यता | : | कोई भी महिला या पुरुष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो समिति के उद्देश्यों में अपनी आस्था रखता हो तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह इस संस्था के सदस्य प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा बहुमत से उसे सदस्य बनाये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर उपलब्ध / महामंत्री द्वारा बनाये जायेगें। |
| | सदस्यों के वर्ग आजीवन/संस्थापक सदस्य | : | संस्था / समिति की स्थापना करते समय जिन सदस्यों ने इसे पंजीकृत कराया था और इसकी स्मृति पत्र में नाम है वह इस संस्था के संस्थापक / आजीवन सदस्य कहलायेगें। संस्थापक / आजीवन सदस्य की मृत्यु होने पर यदि उनके कोई पुत्र होने पर ज्येष्ठ पुत्र कोई पुत्र न होने पर उनकी पुत्री, पुत्री भी न होने पर संस्थापक / आजीवन सदस्य द्वारा अपने जीवन काल में नामित किये गये व्यक्ति जो रुपया 1,51,000.00 नगद या चल अथवा अचल सम्पत्ति संस्था को प्रदान करेगा प्रबन्ध समिति द्वारा बहुमत से सदस्य बनाये जाने पर प्रस्ताव पारित किये जाने पर अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा संस्थापक /आजीवन सदस्य बनाये जायेगे या संस्थापक/आजीवन सदस्य के पुत्र/पुत्री भी यदि आजीवन/संस्थापक सदस्य या निदेशक मण्डल के सदस्य है तो आजीवन / संस्थापक सदस्य यदि चाहे अपनी जीवनकाल में ही किसी अन्य व्यक्ति को आजीवन/संस्थापक सदस्य नामित कर प्रबन्ध समिति को सूचित कर देगा तथा संस्थापक/आजीवन सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वार नामित व्यक्ति आजीवन/संस्थापक सदस्य होगा। |

शिवपालसिंह
प्रदीप सिंह
राहुल सिंह

सत्यमेव जयते

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरु एजूकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

.....2

Scanned with CamScanner

विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित एव उपाधि प्राप्त होगा विद्वान होगें तथा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी, साहित्कार होगें या उम्र दराज व्यक्ति होगें सस्था के तीन वर्ष के लिए विशिष्ट सदस्य अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा मनोनीत किये जायेगें जो मताधिकारी नहीं होगें स्वेच्छा से कोई धनराशि या सहयोग दे सकते है।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं हेतु रूपया 51,000.00 नगद तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपया 5,100.00 प्रतिवर्ष जमा करेगें तथा संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु बनाये गये नियमों को पूर्ण करेगें वह तीन वर्ष के लिये सामान्य सदस्य होगें।

संरक्षक सदस्य : जो व्यक्ति इस सस्था द्वारा संचालिक सस्थाओ के विकास हेतु रूपया 1,51,000.00 नगद देगा या इससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति देगा तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपया 1500.00 जमा करेगा तथा सस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु बनाये गये नियमों को पूर्ण करेगा वह तीन वर्ष के लिए संरक्षक सदस्य होगा।

निदेशक मण्डल : संस्था / समिति का एक निदेशक मण्डल होगा जो निम्नवत है:-

1. माता प्रसाद सिंह
2. नरेश बहादुर सिंह
3. जय कुमार सिंह
4. जगरूप सिंह

निदेशक मण्डल का प्रत्येक सदस्य आवश्यकतानुसार एक एक सदस्य नामित करेगा, निदेशक मण्डल द्वारा नामित सदस्य मत देने का अधिकारी होगा नामित सदस्य का कार्यकाल निदेशक मण्डल के स्थायी सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जायेगा। निदेशक मण्डल के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके कई पुत्र होने पर ज्येष्ठ पुत्र, कोई पुत्र

.....3

सत्यमेव जयते

राहुल सिंह

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरू एजूकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | भी न होने पर उसके द्वारा अपने ही जीवन काल में नामित व्यक्ति निदेशक मण्डल का सदस्य होगा निदेशक मण्डल के सदस्यों को उनके द्वारा नामित किये गये व्यक्ति की सूचना उन्हें अपने जीवन काल में प्रबन्ध समिति को प्रदान कर दी जायेगी । |
| 6. | सदस्यता की समाप्ति | : | मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, सदस्यता की शर्तों को पूरा न करने पर या उल्लंघन करने पर संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क/चन्दा न अदा न करने पर संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर प्रबन्ध कारिणी समिति के 2/3 बहुमत से निष्कासित करने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी परन्तु संस्थापक/आजीवन सदस्यों तथा निदेशक मण्डल के स्थायी सदस्यों पर मृत्यु होना या स्वेच्छा से हटना ही लागू होगा अन्य कारण लागू नहीं होंगे । |
| 7. | संस्था के अंग | | संस्था के दो अंग है –<br>अ. साधारण सभा<br>ब. प्रबन्धकारिणी समिति |
| 8. | साधारण सभा | : | संस्था की साधारण सभा में कुल 13(तेरह) सदस्य ही होंगे । |
| | अ. गठन | : | इस साधारण सभा में संस्थापक आजीवन सदस्य निदेशक मण्डल, के सदस्य सामान्य सदस्य तथा संरक्षक सदस्य होंगे |
| | ब. बैठकें | : | साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार होगी तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचित करके बुलायी जा सकती है । |
| | स. सूचना अवधि | : | साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से या डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी |

...4

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,

अध्यक्ष / सचिव
श्री सद्गुरु एजुकेशन सोसाइटी

ATTESTED

प्रदीप सिंह

द. गणपूर्ति : संस्था के कुल सदस्यों में से बहुमत [आधा से अधिक] की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि : संस्था साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा, जिसकी अवधि व तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो के बहुमत द्वारा तय की जायेगी ।

र. साधारण सभा के कर्तव्य : 1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
2. वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
3. वार्षिक बजट पास करना॥
4.संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

विशेष: निदेशक मण्डल संस्था के हित में नीतिगत, निर्णय लेना, जिसे प्रबन्धकारिणी समिति क्रियान्वित करेगी ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

अ. गठन : केवल संस्थापक / आजीवन सदस्य तथा संस्थापक निदेशक मण्डल के सदस्य ही प्रबन्धकारिणी समिति, के सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/ महामंत्री [सचिव], एक कोषाध्यक्ष /, संयुक्त सचिव तथा पांच सदस्य होंगे । इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या केवल 09 [नौ] होगी ।

ब. बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके वर्ष में चार बार होगीं विशेष बैठक कभी आवश्यकता पड़ने पर बुलायी जा सकती है ।

स. सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यो को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों के 24 घण्टे पूर्व लिखित रूप से या सूचना के किसी भी माध्यम से दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति : संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति / निदेशक मण्डल में से बहुमत [आधा से अधिक] की उपस्थिति का कोरम मानी जायेगी ।

ATTESTED

सत्य प्रतिलिपि

..5

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरू एजूकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| य. रिक्त स्थानों की पूर्ति | : | प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर महामंत्री द्वारा पूर्ति की जायेगी । |
| र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य | : | 1. प्रबन्ध व विकास के लिए आवश्यक कार्य करना॥<br>2. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना॥<br>3. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि करना ।<br>4. वार्षिक बजट तैयार करना ।<br>5. प्रबन्ध समिति द्वारा किसी विभाग जैसे– केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, कपार्ट, ड्वाकरा, सूडासेल, ट्राइसेम, डी०आर०डी०ए०, शिक्षा विभाग अन्य सरकारी विभागों से दान अनुदान चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करेगी॥ ऋण की सुरक्षा एवं अदायगी के लिए सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें ।<br>6. संस्था के विवादों को सुलझाना । |
| ल. कार्यकाल | : | प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा । |

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | : | 1. समिति का प्रबन्ध करना॥<br>2. समिति के प्रशासन का उत्तरदायित्व होगा॥<br>3. विशेष मामले पर समिति की सलाह से निर्णय लेना॥<br>4. सचिव के परामर्श से बैठके बुलाना एवं बैठकों की व्यवस्था करना॥<br>5. संस्था के हित में अन्य सभी कार्य करना ।<br>6. संस्था की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना |
| उपाध्यक्ष | : | अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को करना एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना । |
| सचिव प्रबन्धक/महामंत्री | : | 1. प्रबन्धकारिणी समिति का आफिस इंचार्ज होगा॥<br>2. बिलों एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना॥ |

...6

सत्यमेव जयते

TESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरु एजूकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,

Scanned with CamScanner

3. सरकार द्वारा ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति करना।

5. संस्था के नियमानुसार अभिलेखों को तैयार करना।

6. कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करना।

7. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करना।

8. समस्त कानूनी कार्यवाही की पैरवी करना।

9. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चन्दा एकत्र करना।

10. सदस्यता शुल्क देना, रसीदों पर हस्ताक्षर करना।

11. बराबर मत आने पर अपना एक निर्णायक मत देना।

11. समिति की बैठक की तिथियों को निश्चित करना।

12. समिति को आपात काल में भंग करके नयी कमेटी गठित करना।

13. प्रबन्ध समिति के लिये गये निर्णय के अनुसार चल/अचल सम्पत्ति को क्रय/विक्रय करना।

कोषाध्यक्ष

1. महामंत्री/प्रबन्धक(सचिव) द्वारा तैयार किये जाने वाले लेखा-जोखा में सहायता करना।

2. सचिव/महामंत्री/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत सभी कार्य करना।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन सोसायटी रजि० अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किये जायेंगे।

12. संस्था का कोष एवं आय के स्रोत

संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण/खाते का संचालन प्रबन्धक/महामंत्री (सचिव) एवं अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष में से कोई के साथ / संयुक्त हस्ताक्षर कर खाते का संचालन कर सकेगी संस्था के द्वारा संचालित विद्यालयों के खाते विभागीय

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरु एजुकेशन सोसाइटी

सत्य प्रतिलिपि

.....7

नियमानुसार प्रबन्धक / मंत्री (सचिव) द्वारा उनके ही हस्ताक्षर से सत्यापित किये जायेंगे ।

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं/संस्थानों, बैंको, कपार्ट, [illegible], यूनीसेफ, ट्राईसेम, डी०आर०डी०ए० , नबार्ड, बयार्ड, सिडबी, शिक्षा विभाग व अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी एवं सदस्यों से सदस्यता शुल्क व चंदा आदि लेगी ।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिट:

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य व्यक्ति आडीटर या चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी प्रबन्धक/महमंत्री (सचिव) द्वारा की जायेगी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख:

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैशबुक लेजर अन्य अभिलेख जो आवश्यक होंगे रखे जावेंगे

16. विघटन: संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही समस्त प्रकार की लेन देन अदायगी करने के बाद सोसायटीज रजि0 अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनांक 3/6/08 सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

ATTESTED

अध्यक्ष / सचिव
श्री सतगुरू एजूकेशन सोसाइटी
भगवन्तखेड़ा, धानीखेड़ा, उन्नाव

सत्य प्रतिलिपि

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Scanned with CamScanner